खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक T.P. 1311 / न० नि०

श्री सती पुष्पा देवी
पति -- श्री संजय कुमार सण्डिल्य एवं अन्य,
पता - जे०सी०मल्लिक रोड, हीरापुर,
धनबाद।

धनबाद, दिनांक 3/2/16

विषयः- आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश न० बी०डी० 311/15-16 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 5.8.15 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या - 575 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 2408/ II/ 14-15 जमाबंदी संख्या 1056 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति, षपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केश न० 311/15-16 के नक्शों की स्वीकृति प्रबंध निदेषक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है। निदेषानुसार सूचित करना है कि हसनीबेरा-88 मौजा अन्तर्गत खाता न० 43, 49 प्लॉट न० 1352, 1353, 1354, 1355 रकबा 13010 वर्गफीट भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अजय कुमार केशरी की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना सुनिशिचत करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

मात्र भवन विनियम के दायरे में आवासीय / व्यवसायिक / औद्योगिक / संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजके लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रष्नगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थपित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य सरकार / नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25/- कुल रू० 93250/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्ट्रक्चर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरु करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

Plinth के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियंता स्थल जांचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगा। साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

कार्यपालक अभियंता 22/01/16
नगर निवेशन विभाग,
खनिज क्षेत्र विकास पाधिकार
धनबाद। 22/1/16

ज्ञापांक - टी०पी० .... / नगर निवेशन, दिनांक ....

Scanned with CamScanner